

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ग्राम पैनाघट जिलोता

पीठासीन अधिकारी... उपखण्ड अधिकारी उनियारा

(1) लाइ देवी पत्नी सुभाष मीणा देवदेवी उनवान  
(2) श्यामदेवी पत्नी श्रीताराम मीणा  
निपटारे द्वारा तद्वत् उनियारा

(1) प्रशकास पुत्र विखीचन्द  
(2) लाइलाल पुत्र विखीचन्द  
(3) कमला पत्नी रामपुरक  
(4) गीता पत्नी मोहनलाल  
(5) सोपडी पत्नी धरश्याम  
(6) अनिल पुत्र धरश्याम  
(7) रचना पुत्री धरश्याम  
(8) तद्वत् लखार उनियारा

दावा बाबत

मुकदमा नम्बर :-


निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से .....  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25-5-2015 को श्री सुभाष चन्द्र शर्मा  
(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश  
होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

भारतजी रकन 1839, 1841, 1905, 2025, 2112 के आधार पर  
रकन 2-60 के वाके ग्राम उखलाना तद्वत् लखार उनियारा से वारीशत  
व प्रतिवारीशत के मध्य निम्नानुसार तकसमा किया जाता है :-

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


()  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी टोंक

वाद के खर्चे


वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
योग		योग

क्र.सं	नाम स्वामिदार	रकबा	रकबा	लकाम
1.	लाडदेवी पत्नी हनुमान	२०२५	०-०९	०-७२
	रामदेवली वितारक, रमाल देवी पत्नी सीताराम	२११२	०-३५	२-८०
	राम देवो हनुमा राहिन	वि.सं. २	०-५५	३-५२
	५-१०-१५ आरवा डोलीगढ			
२.	शुभलाल, लड्डूलाल पुत्र	१८३९	०-७५	५-९२
	विरधीचन्द, दि. ७/१२	१८५१	०-८३	६-६५
	मोती पुत्र विरधीचन्द	१९०५	०-५९	५-७२
	दि. १/०५, जीता पुत्री			
	विरधीचन्द, दि. १/६			
	दोपदी पत्नी धनराम	३	२-१६	१७-२८
	दि. १/१८			
	अनिल पुत्र धनराम दि. ७/१२			
	रुचका पुत्री धनराम दि. १/१८			
	जाति ब्राह्मण रामदेव स्वामिदार			

तहसीलदार उजियारा को सुभाषचन्द्र राजन् रिकार्ड में अमल लिखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

  
उप खण्ड अधिकारी  
उजियारा जिला टोक

सहायक उपखण्ड अधिकारी उजियारा  
क्रमांक - ५५ दि. २५-५-२०१५  
द्वारा उजियारा तहसीलदार उजियारा को लिखी  
अनुसार पालनार्थ उचित है।

  
उप खण्ड अधिकारी  
उजियारा जिला टोक